न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 399/2024 निर्णय दिनांक :– 10-11-25
(जीसीएमएस संख्या 2024/581)

1. नरसीराम पुत्र सुरजाराम जाति विश्नोई निवासी–चमार खेडा, सार्दुल शहर जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. भजनलाल पुत्र काशीराम जाति विश्नोई निवासी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. सतपाल पुत्र काशीराम जाति विश्नोई निवासी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 09–05–1999
सहायक आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी ई.गा.न.प. कोलायत

उपस्थितिः–
1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सत्यपाल साहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी ई.गा.न.प. कोलायत के आदेश दिनांक 09–05–1999 जिसके द्वारा अपीलांट की विशेष आवंटन में आवंटन शुदा रकबा रेस्पोडेंट नं 1 व 2 को किया गया के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन हेतु उपनिवेशन विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील कोलायत के चक 27 सीडब्ल्यूबी का मुरब्बा नंबर 167/16 की 25 बीघा भूमि के लिए प्रस्तुत किया था तथा अपीलांअ का प्रार्थना पत्र के साथ 500/- की धरोहर राशि प्राप्त कर रशीद भी अपीलांट के नाम से जारी कर दी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया तथा सलाहकार समिति के द्वारा अपीलांट का उक्त भूमि का आवंटन कर दिया। अपीलांट को चक 27 सीडब्ल्यूबी हाल तहसील बज्जू के मुरब्बा नंबर 167/16 की 25 बीघा भूमि विशेष आवंटन में दिनांक 15-03-1990 को आवंटन की गई थी, इस आवंटन के खिलाफ राजस्थान सरकार द्वारा धारा 22(3) की कार्यवाही अपीलांट के खिलाफ प्रस्तुत की गई थी तथा धारा 22(3) की कार्यवाही में दिनांक 31-07-1991 को माननीय उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर ने निर्णय पारित कर दिया गया और राजस्थान सरकार के धारा 22(3) की कार्यवाही के नोटिस को निरस्त कर दिया गया। बाद मे उक्त भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 एव 2 को संयुक्त रूप से विशेष आवंटन कर दिया गया। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि विशेष आवंटन हेतु अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया इस बात को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को आवंटन कर दिया। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि धारा 13(ए) में संशोधन कर दिया गया है कि यदि किसी कारण से विशेष आवंटन में दर्शाई गई भूमि का आवंटन नही किया जाता है विकल्प में अन्य भूमि का आवंटन किया जा सकता है एवं जमा राशि विकल्प में आवंटित भूमि की किश्त में समायोजित कि जा सकती है। अदालत मातहत में अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक भी अवसर नहीं दिया गया और अवसर न देकर प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लघंन किया है। अपीलाधीन आदेश साईक्लो स्आईल आदेश है, तथा प्रिन्टेड फार्म में रिक्त स्थान भरकर आदेश पारित किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे अपनी बहस में मियाद बिन्दू पर कथन करते हुए कहा कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गई तो अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत आकर अपनी पत्रावली के बारे में पुछताछ कि तो रीडर ने बताया आपकी आवंटनशुदा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को आवंटन हो चुकी है विकल्प में भूमि लेना चाहते है तो अपील प्रस्तुत करे, तब अपीलांट द्वारा नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 10-10-2024 को नकल बाद तैयार प्राप्त हुई। अतः अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में कोई जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार कि जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा विशेष आवंटन हेतु आवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम दस्तावेजों की जांच करते हुए वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को विधिवत तरीके से किया गया है। अपीलांट ने केवल मात्र आवंटी को तंग परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन आराजी चक 27 सीडब्ल्यु बी मुरब्बा नम्बर 167/16 की 25 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 आवंटित हुई जिसका आवंटन आदेश दिनांक 27–05–1999 को जारी हुआ। अपीलांट की अपील का मुख्य आधार यह है कि पूर्व में दिनांक 15–03–1990 को यही भूमि अपीलांट को विशेष आवंटन में आवंटित की जा चुकी है। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से यह प्रकट होता है कि दिनांक 15–03–1990 को प्रश्नगत रकबा अपीलांट को आवंटित हुआ था। इस आवंटन आदेश को उपायुक्त उपनिवेशन द्वारा अन्तर्गत धारा 22(3) इन्दरा गॉधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन व विक्रय नियम 1975 के तहत न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर में चुनौती दी गई। न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31–07–1991 द्वारा धारा 22(3) की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश को कही चुनौती दी गई हो, पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है। अपीलांट का आवंटन कभी खारिज हुआ हो ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है और ना ही रेस्पोडेन्ट और राजकीय अभिभाषक द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश किये है।

इस स्थिति में प्रकरण अपीलाधीन भूमि के दोहरे आवंटन से संबंधित है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनो द्वारा इस बात पर सहमति प्रदान की गई है कि यदि रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जाता है तो अपीलांट को नियमानुसार अन्यंत्र भूमि का आवंटन किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस बिन्दू की जॉच करे कि क्या अपीलांट को दिनांक 15–03–1990 को आवंटित भूमि का आवंटन कभी खारिज हुआ अथवा नही? यदि अपीलांट का आवंटन खारिज नही हुआ हो तो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमो व अद्ययतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10-11-25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर